डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 177-अ] रायपुर, शनिवार, दिनांक 11 अगस्त 2001—श्रावण 20, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2001

क्रमांक 4726/21-अ/(प्रारुपण)/2001.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 21-8-2001 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 21 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2001

छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति, अधिनियम, 1995 संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 21 सन् 2001) है.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है.

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

वृहत नाम का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) (जो इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" के नाम से निर्दिष्ट है) के वर्तमान वृहत नाम के स्थान पर, निम्नलिखित वृहत नाम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-य घ के प्रयोजन के लिए जिला योजना समिति का गठन करने के लिए अधिनियम.

धारा 3 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

किसी राजस्व जिले या राजस्व जिलों के किसी समूह (ग्रुप) या उसके किसी भाग जो एक ही जिला पंचायत में है, की पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने तथा संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा.

धारा 7-क का लोप.

4. मूल अधिनियम की धारा 7-क का लोप किया जाए.

अनुसूची का स्थापन.

5. मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जावे अर्थात् :—

"अनुसची"

[धारा 4 (1) देखिए]

क्रमांक (1)	समिति का नाम (2)	सदस्यों की संख्या (3)
1.	निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति 1. कोरिया	10

(1)	(2)	(3)
	2. जशपुर	
	3. कवर्धा	
	4. धमतरी	
	5. कांकेर	
	6. दंतेवाड़ा	
2.	निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति	15
	1. कोरबा	
	2. महासमुन्द	
3.	निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति	20
	1. जांजगीर	
	2. रायगढ़	
	3. राजनांदगांव	
	4. बस्तर	
	5. सरगुजा	
	6. बिलासपुर	
	7. दुर्ग	
	8. रायपुर	

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2001

क्रमांक 4726/21-अ/(प्रारुपण)/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्र. 21 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No. 21 of 2001)

THE CHHATTISGARH ZILA YOJANA SAMITI (SANSODHAN) ADHINIYAM, 2001.

An Act to amend the Chhattisgarh Zila Yojana Samati Adhiniyam, 1995.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty second year of the Republic of India as follows :—

Short title extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Zila Yojana Samiti (Sansodhan) Adhiniyam, 2001 (No. 21 of 2001).

(2) It extends to the whole of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Amendment of long title.

2. For the existing long title of the Chhattisgarh Zila Yojana Samiti Adhiniyam., 1995 (No. 19 of 1995) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following long title shall be substituted, namely :—

An Act to constitute District Planning Committee for the purposes of Article 243-ZD of the Constitutuion of India.

Amendment of Section 3.

3. For Sub-section (1) of Section 3 of the Principal Act, the following Sub-section shall be substituted, namely :—

(1) There shall be constituted for a revenue district or a group of districts, and part thereof having a common Zila Panchayat, a District Planning Committee, to consolidate the plans Prepared by the panchayats and Municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the district as whole.

Omission of Section 7-A.

4. Section 7-A of the Principal Act shall be omitted.

Substitution of Schedule.

5. For the schedule to the Principal Act, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"THE SCHEDULE"
[See Rule 4 (1)]

S. No. (1)	Name of the Committee (2)	Number of Member (3)
1.	District Planning Committees of the District of 1. Korea 2. Jashpur 3. Kawardha 4. Dhamtari 5. Kanker 6. Dantewada	10
2.	District Planning Committees of the District of 1. Korba 2. Mahasamund	15

(1)	(2)	(3)
3.	District Planning Committees of the District of 1. Janjgir 2. Raigarh 3. Rajnandgaon 4. Bastar 5. Sarguja 6. Bilaspur 7. Durg 8. Raipur	20

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.